

न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या :-313 /16

दायर दिनांक :- 13-05-2016

निर्णय दिनांक :- 14.09.2016

अनवान

राजस्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का दूधु

बनाम

राजुराम पुत्र कलाराम कौम जाट साकिन बजरंगनगर

निर्णय


दिनांक :-14.09.2016

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का दूधु ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम स्वामियों की बेरी के आराजी खसरा नम्बर 751 रकबा 1750 प्रति वर्ग फीट बीघा भूमि किस्म बा0दो0 लगान 25 प्रति वर्ग फीट रूपये भूमि पर द्वारा संवत 2073 में होटल,पक्का निर्माण बनाकर कर अतिक्रमण कर रखा है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 अ सपठित 91 आर.एल.आर. के तहत बेदखली की कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस के जरिए तलब किया गया। गैरसायल उपस्थित। गैरसायल की ओर से कोई जबाब, साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं हुआ है।

मेरे द्वारा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि गैरसायल द्वारा विवादित भूमि अतिक्रमण कर रखा है। जिससे गैरसायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 अ सपठित 91 आर.एल.आर. के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं तत्काल प्रभाव से विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा वार्षिक लगान 25 प्रति वर्ग फीट रूपये का 50 गुणा 1250 रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल किया जावे। तथा मौके पर स्थित अन्य कोई सामग्री को जब्त सरकार निलामी के आदेश दिये जाते हैं। टी0आर0ए0 तथा पटवारी हल्का को मांगकायमी एवं बेदखली हेतु लिखा जाव ! पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2016 को मुकाम धोरीमन्ना पर सुनाया गया।


तहसीलदार धोरीमन्ना
जिला बाड़मेर